न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 125 / 19	10–10–2019	16–02–2021

01–दुल्ली पुत्र राधेलाल
02–कपूर चंद पुत्र श्री राधेलाल
03–इन्दर पुत्र गिरधारी
04–कुंज बिहारी पुत्र गिरधारी
05–श्रीमती पेमा बेवा गिरधारी जातियान कोली निवासीयान ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर।
06–श्रीमती दुलारी पत्नी बाबूलाल पुत्र गिरधारी जाति कोली निवासी राज भट्टा के पास सैयद की बगीची,अलवर।
07–श्रीमती गोविन्दी पत्नी डालचंद पुत्र राधेलाल जाति कोली निवासी वीआईपी रोड कोली मौहल्ला मालाखेडा तहसील व जिला अलवर। **अपीलान्ट**

बनाम

01–गिर्राज प्रसाद पुत्र गंगाधर जाति अहीर
02–पप्पू यादव गिर्राज यादव जाति अहीर
03–रोहिताश्व पुत्र गिर्राज यादव जाति अहीर
04–राजू पुत्र गिर्राज यादव जाति अहीर निवासीयान ग्राम बारा भडकोल तहसील लक्षमनगढ जिला अलवर।
05–रामकिशन पुत्र अमीलाल जाति गुर्जर
06–श्यामलाल पुत्र अमीलाल जाति गुर्जर
07–अमीलाल पुत्र नामालूम जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बहादरपुर पट्टा कटला तहसील व जिला अलवर। **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :–

01. श्री वीरेन्द्र कुमार तायल–वकील अपीलाण्ट
02. अनुपस्थित –रेस्पा0 अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 08–01–2013 जिसके द्वारा प्रार्थना धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पा0 अधिवक्त व रेस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 724 रकबा 0.09 ऐयर, 725 रकबा 0.74 ऐयर, 726 रकबा 0.04 ऐयर बारानी प्रथम कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 ऐयर वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला में अपीलान्ट की गैर खातेदारी की आराजी है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है रेस्पा0 स्वर्ण जाति के सदस्य है। तहत अदालत के समक्ष

अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम का प्रस्तुत किया था। रेस्पा0 ने अपने जवाब में यह अंकित किया कि विवादितआराजी पर पिछले 25 वर्षो से काबिज है। अपीलान्ट सं0 1, 2 व 7 ने रेस्पा0 गिर्राज के हक में आराजी 2,80,000/–रूपये में विक्रय करने का सौदा दिनांक 22.05.2001 को कर लिया। रेस्पा0 गिर्राज ने आराजी को जरिये इकरारनामा खरीद किया जाना बतलाया है, जिसे अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया जिससे इकरारनामा गैर कानूनी व शून्य है। तहत अदालत ने तथाकथित इकरारनामें के आधार पर दायर किये गये दिवानी दावे को आधार माना है जो कानूनन उचित नहीं है। तहत अदालत ने उक्त दावे को महत्व देने कानूनी गलती की है। विवादित आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी की आराजी है तथा अपीलान्ट उक्त आराजी के टिनेन्ट है एवं लगान अदा कर रहें है। तहत अदालत ने अपीलान्ट की आराजी गैर खातेदारी है एवं खातेदार नहीं होने के कारण 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सकते है। सिविल न्यायालय में वाद चल रहा है तथा इस पर निर्णय पारित होना है इसलिऐं प्रार्थना पत्र को लम्बित रखना उचित समझते है जो कानूनी उचित नहीं है। तहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति को नही समझा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का सही तौर पर अवलोकन नहीं किया। विवादित आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी की आराजी है तथा रेस्पा0 ने आराजी पर नाजायज कब्जा किया है जो ट्रेसपास की तारीफ में आते है। अपीलान्ट रेस्पा0 को आराजी से बेदखल कर आराजी पर कब्जा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 08.01.2013 निरस्त कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी 724 रकबा 0.09 ऐयर, 725 रकबा 0.74 ऐयर, 726 रकबा 0.04 ऐयर वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला का कब्जा अपीलान्ट को रेस्पा0 से दिलाये जाने की आदेश प्रदान करें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया रेस्वा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आऐं। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट सं0 1, 2 व 7 ने रेस्पा0 गिर्राज के हक में आराजी 2,80,000/–रूपये में विक्रय करने का सौदा दिनांक 22.05.2001 को कर लिया। रेस्पा0 गिर्राज ने आराजी को जरिये इकरारनामा खरीद किया जाना बतलाया है, जिसे अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया जिससे इकरारनामा गैर कानूनी व शून्य है। तहत अदालत ने तथाकथित इकरारनामें के आधार पर दायर किये गये दिवानी दावे को आधार माना है जो कानूनन उचित नहीं है। तहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति को नही समझा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का सही तौर पर अवलोकन नहीं किया। विवादित आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी की आराजी है तथा रेस्पा0 ने आराजी पर नाजायज कब्जा किया है जो ट्रेसपास की तारीफ में आते है। तहत अदालत की निर्णय पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2013 में वर्णित आराजी गैर खातेदारी कस्डोडियन की आराजी है, जो

जिला कलक्टर, अलवर

अनुसूचित जाति के सदस्य है। अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर कब्जा करने कोई अधिकारी नहीं है। अनुचित जाति के सदस्य की आराजी है और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी स0 2065—68 में भी अपीलान्ट्स के नाम का इन्द्राज है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। अनुसूचित जाति की आराजी पर सवर्ण जाति को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 183 बी कार्यवाही वाद की कार्यवाही न होकर प्रार्थना की कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत सरसरी तौर पर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। पक्षकारों के बीच चल रहे वाद के आधार अन्तर्गत धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को खारिज नहीं किये जाने का सिद्वान्त समय—समय पर प्रतिपादित किये गये है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है, सवर्ण जाति को अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर कब्जा करने कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत के निर्णय को उचित नहीं समझते। अपील अपीलान्टस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 08.01.2013 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पो0 सं0 1 गिर्राज प्रसाद पुत्र गंगाधर जाति यादव वगैराह ग्राम बहादरपुर पट्टी कला तहसील अलवर को बेदखल किया जावें, तथा आराजी मुतनाजा का कब्जा अपीलान्ट दुल्ली पुत्र राधेश्याम वगैरा को दिया जावे। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16—02—2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर